ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.21, No.1, Jan. – March, 2026/16

मौर्यकालीन तथा वर्तमान न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

काजल गुप्ता एवं आरती गुप्ता
https://doi.org/ 10.61410/had.v21i1.262

शोध सारांश

यह शोध–पत्र मौर्यकालीन तथा वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारत की न्यायिक परंपराओं और आधुनिक संवैधानिक न्याय प्रणाली के बीच समानताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करना है। मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था का आधार धर्मशास्त्र, परम्पराएँ तथा राजसत्ता थी, जहाँ राजा सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित दण्डनीति के अनुसार कठोर दण्ड व्यवस्था को सामाजिक नियंत्रण एवं राज्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रमुख साधन माना गया था। इसके विपरीत, वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था एक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक ढाँचे पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान सर्वोच्च है। आधुनिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को दण्डित करना नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा विधि के शासन को सुनिश्चित करना है। इस अध्ययन में न्यायालयों के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, दण्ड प्रणाली, समानता एवं अधिकार तथा अपील व्यवस्था जैसे प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जहाँ त्वरित एवं प्रभावी थी, वहीं उसमें समानता एवं व्यक्तिगत अधिकारों का अभाव था।

शोध पत्र

न्याय व्यवस्था किसी भी राज्य और समाज की मूल आधारशिला होती है। यह केवल कानूनों के पालन की प्रणाली नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, समानता तथा मानवाधिकारों की रक्षा का एक सशक्त माध्यम भी है। किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और विकास उसकी न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। यदि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, त्वरित और सुलभ हो तो समाज में शांति और विश्वास बना रहता है, अन्यथा अराजकता, असंतोष और असमानता का विस्तार होता है। मौर्यकाल (322 ई.पू.–185 ई.पू.) भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखण्ड है, जिसमें पहली बार एक विशाल और केन्द्रीकृत साम्राज्य की स्थापना हुई। इस काल में प्रशासन और न्याय व्यवस्था को अत्यंत संगठित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में न्याय, दण्डनीति, प्रशासन और शासन के सिद्धांतों का विस्तृत एवं वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और न्याय का आधार धर्म, परम्पराएँ तथा राज्य की आवश्यकताएँ थीं। इस व्यवस्था में दण्ड का विशेष महत्व था, क्योंकि इसे सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का प्रमुख साधन माना जाता था। अतः वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर आधारित है।

- शोध छात्रा –एम. ए. (इतिहास), महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ
- शोध पर्यवेक्षक – सहायक आचार्य, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ

1950 में लागू भारतीय संविधान ने न्याय प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की। वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार विधि का शासन (Rule of Law), समानता (Equality before Law), और मौलिक अधिकारों की रक्षा है। यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका तथा विधायिका से पृथक होकर कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की एक सुव्यवस्थित संरचना के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाता है। अतः मौर्यकालीन और वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि न्याय प्रणाली समय के साथ विकसित होती है और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। जहाँ मौर्यकालीन व्यवस्था ने न्याय प्रणाली की आधारशिला रखी, वहीं आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था ने उसे अधिक लोकतांत्रिक, मानवाधिकार आधारित और संस्थागत रूप प्रदान किया गया है।

न्याय का स्वरूप

मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः राजतंत्रीय, धर्मप्रधान और दण्ड–आधारित था। इस व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकार प्राप्त था और वही अंतिम निर्णय देता था। न्यायपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, बल्कि यह पूर्णतः राजसत्ता के अधीन कार्य करती थी। न्याय का आधार धर्मशास्त्र, सामाजिक परंपराएँ और राज्य की आवश्यकताएँ थीं। अतः वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवाधिकार–आधारित है। यहाँ न्याय का आधार संविधान है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका तथा विधायिका से पृथक होकर कार्य करती है। न्याय का उद्देश्य केवल अपराधियों को दण्डित करना नहीं, बल्कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। मौर्यकाल में न्याय का स्वरूप सत्ता–केन्द्रित और धर्म–आधारित था, जबकि वर्तमान भारत में यह नागरिक–केन्द्रित कानून–आधारित और लोकतांत्रिक है।

न्याय प्रशासन

मौर्यकाल में न्याय को मुख्यतः दीवानी और फौजदारी मामलों में विभाजित किया गया था। दीवानी मामलों में सम्पत्ति और व्यापारिक विवाद आते थे, जबकि फौजदारी मामलों में अपराध शामिल थे। वर्तमान भारत में न्याय के प्रकार अधिक विस्तृत हैं : दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक और मानवाधिकार संबंधी मामलों का भी न्यायिक समाधान किया जाता है।

'मौर्यकाल में न्याय का वर्गीकरण सीमित था, जबकि वर्तमान भारत में यह अधिक व्यापक और विविधतापूर्ण है।'

आरक्षा एवं गुप्तचर व्यवस्था

मौर्यकालीन आरक्षा एवं गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत संगठित, कठोर और केन्द्रीकृत थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजा को हर प्रकार की सूचनाएँ पहुँचाना था, जबकि वर्तमान व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कानून के अधीन संचालित होती है। मौर्यकाल में 'आरक्षा' अर्थात् पुलिस व्यवस्था का संचालन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिनका कार्य अपराधों को रोकना, दोषियों को पकड़ना और दण्ड दिलाना था, वहीं आज की पुलिस व्यवस्था संविधान और कानून के अनुसार कार्य करती है तथा मानवाधिकारों का विशेष ध्यान रखती है। उस समय दण्ड व्यवस्था कठोर थी और कई बार बिना पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के भी दण्ड दिया जाता था, जबकि वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले निष्पक्ष न्यायालयीय प्रक्रिया आवश्यक होती है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अत्यंत विकसित थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुप्तचर जैसे तपस्वी, व्यापारी, छात्र, गृहस्थ आदि के रूप में रहकर सूचनाएँ एकत्र करते थे और ये गुप्तचर समाज के हर स्तर पर फैले होते थे, जिससे राजा को आंतरिक और बाहरी गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती रहती थी। अतः वर्तमान में खुफिया एजेंसियाँ जैसे (IB, RAW) आदि आधुनिक तकनीक, साइबर निगरानी और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करती हैं, लेकिन इन्हें भी कानून और गोपनीयता के नियमों के भीतर रहकर कार्य करना पड़ता है। मौर्यकाल में गुप्तचरों का उपयोग कभी–कभी लोगों की निजी गतिविधियों पर नजर रखने और विरोध को दबाने के लिए भी किया जाता था, जबकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। मौर्यकाल में आरक्षा और गुप्तचर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राजा की सत्ता को मजबूत करना था, जबकि वर्तमान में इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य जनता की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और कानून–व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रकार मौर्यकालीन व्यवस्था अधिक कठोर, गोपनीय और शासक–केंद्रित थी, जबकि वर्तमान व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक–केंद्रित मानी जाती है।

दण्ड व्यवस्था

मेगस्थनीज़ और यूनानी लेखको के विवरणों से ज्ञात होता है कि मौर्यकाल मे दण्ड व्यवस्था कठोर थी। साधारण अपराध के लिए कठोर दण्ड दिया जाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि अपराधी को दण्ड उसके अपराध के अनुरूप मिलना चाहिए न तो अधिक और न ही कम। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि छोटे अपराधों के लिए आर्थिक दण्ड ही देते थे। गंभीर अपराधों के लिए अंग भंग एवं मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, किंतु उन्हें भी अर्थ दण्ड में परिणत किया जा सकता था अर्थात अपराध तथा दण्ड व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही मौर्यकाल में अपराध बहुत कम होते थे। मेगस्थनीज़ ने भी लिखा है कि भारत में चोरी बहुत कम होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था उच्च कोटी की एवं सुव्यवस्थित थी तथा राजा की शक्ति को सुदृढ़ करने और देश में शांति बनाए रखने में सफल हुई। वर्तमान समय में दण्ड व्यवस्था संविधान और कानून के शासन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मात्र दण्ड देना नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना और अपराधी का सुधार करना भी है। यह व्यवस्था मानवाधिकारों, समानता और निष्पक्षता को महत्व देती है। आज दण्ड के प्रमुख रूप कारावास, जुर्माना

और सुधारात्मक उपाय हैं, जबकि मृत्युदण्ड केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। न्याय प्रक्रिया न्यायालयों, साक्ष्यों और विधिक नियमों के आधार पर होती है, जिससे हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। पुलिस और न्यायिक संस्थाएँ मिलकर कानून–व्यवस्था बनाए रखती हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।

दण्ड के विभिन्न प्रकारों को विस्तार रुप से समझ सकते हैं–

1 आर्थिक दण्ड

मौर्यकाल में आर्थिक दण्ड सबसे सामान्य और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला दण्ड था। छोटे अपराधों– जैसे झगड़ा, नियमों का उल्लंघन, कर चोरी या साधारण चोरी के लिए अपराधी से धनराशि वसूली जाती थी। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की मात्रा अपराध की गंभीरता, अपराधी की आर्थिक क्षमता तथा उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। ब्राह्मणों के संदर्भ में उन्हें सामान्यतः शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके लिए आर्थिक दण्ड अधिक प्रचलित था। यदि कोई ब्राह्मण अपराध करता था तो उससे अधिक जुर्माना वसूला जा सकता था जिससे उसे दण्ड का प्रभाव महसूस हो, लेकिन उसकी शारीरिक गरिमा को आघात न पहुँचे। वर्तमान समय में भी आर्थिक दण्ड एक महत्वपूर्ण दिया जाता है। ट्रैफिक नियमों, छोटे अपराधों और प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जाता है। आज यह पूरी तरह कानून द्वारा निर्धारित है और इसमें समानता का सिद्धांत लागू होता है। अंतर यह है कि मौर्यकाल में जुर्माना सामाजिक स्थिति के अनुसार बदल सकता था, जबकि आज सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होते हैं।

2 शारीरिक दण्ड

मौर्यकाल में शारीरिक दण्ड गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता था। इसमें कोड़े मारना, अंग–भंग करना आदि सम्मिलित थे। इसका उद्देश्य अपराधी को दण्डित करना और समाज में भय उत्पन्न करना था किन्तु ब्राह्मणों को सामान्यतः इस प्रकार के दण्ड से छूट दी जाती थी। उनकी उच्च सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें शारीरिक कष्ट देना अनुचित माना जाता था। यह दर्शाता है कि मौर्यकालीन दण्ड व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव मौजूद था। वर्तमान समय में शारीरिक दण्ड पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। इन्हें अमानवीय और मानवाधिकारों के विरुद्ध माना जाता है। अब किसी भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, शारीरिक रूप से दण्डित नहीं किया जा सकता। अंतर यह है कि पहले दण्ड व्यवस्था में सामाजिक स्थिति का प्रभाव था, जबकि आज सभी के लिए समान मानवाधिकार लागू हैं। उदाहरणार्थ, चोरी या अपमान के मामलों में ब्राह्मण को केवल जुर्माना जबकि शूद्र को शारीरिक दण्ड दिया जा सकता था।

3. कारावास –

मौर्यकाल में कारावास का उपयोग अपराधियों को समाज से अलग रखने के लिए किया जाता था। यह उन लोगों के लिए था जो समाज के लिए खतरा माने जाते थे। ब्राह्मणों को सामान्यतः कारावास कम दिया जाता था और उनके लिए अन्य दण्ड जैसे जुर्माना या निर्वासन अधिक उपयुक्त माने जाते थे। वर्तमान समय में कारावास सबसे प्रमुख दण्ड बन चुका है। आज जेलों में अपराधियों के सुधार के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएँ दी जाती हैं। अंतर स्पष्ट है कि मौर्यकाल में कारावास का उद्देश्य नियंत्रण था, जबकि आज सुधार और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाती है, उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को कई मामलों में मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था इसके स्थान पर उन्हें निर्वासन (देश से निकाला) या आर्थिक दण्ड दिया जाता था।

4. प्रतिष्ठा आधारित दण्ड (सामाजिक अपमान)

मौर्यकाल में सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अपराधी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उसका पद छीन लेना या उसकी प्रतिष्ठा गिराना एक प्रभावी दण्ड माना जाता था। ब्राह्मणों के लिए यह दण्ड विशेष रूप से प्रभावी था, क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसलिए कई बार उन्हें शारीरिक दण्ड के बजाय सामाजिक अपमान या बहिष्कार के माध्यम से दण्डित किया जाता था। वर्तमान समय में इस प्रकार के दण्ड को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है यद्यपि, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे पद से हटाना, नौकरी से निकालना ऐसे प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। मौर्यकाल में दण्ड भय–आधारित था, जबकि वर्तमान भारत में दण्ड सुधारात्मक और मानवाधिकार आधारित है।

5. मृत्युदण्ड

मौर्यकाल में मृत्युदण्ड गंभीर अपराधों जैसे हत्या, राजद्रोह के लिए दिया जाता था और इसका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक था। ब्राह्मणों के मामले में मृत्युदण्ड को टालने की प्रवृत्ति थी। कई बार उन्हें मृत्युदण्ड देने के बजाय निर्वासन या सामाजिक बहिष्कार का दण्ड दिया जाता था। वर्तमान समय में मृत्युदण्ड का प्रावधान है, लेकिन इसे केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाता है और यह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है कि आज दण्ड व्यवस्था अधिक समान और न्यायपूर्ण है।

निष्कर्ष–

मौर्यकालीन एवं वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय प्रणाली ने समय के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण विकास यात्रा तय की है। मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः राजसत्ता–आधारित, धर्मप्रधान एवं दण्ड–केन्द्रित था, जहाँ राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। अतः वर्तमान भारत की न्याय व्यवस्था एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवाधिकार आधारित प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है। यहाँ

न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान सर्वोच्च है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। न्याय का उद्देश्य केवल अपराधों का दण्ड नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करना है। यदि दोनों व्यवस्थाओं की समेकित तुलना की जाए, तो स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था ने भारतीय न्याय परम्परा की नींव रखी, जबकि वर्तमान व्यवस्था ने उसे अधिक परिष्कृत, मानवीय और संस्थागत रूप प्रदान किया है। मौर्यकाल में जहाँ न्याय सत्ता और अनुशासन बनाए रखने का साधन था, वहीं आज यह नागरिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम बन चुका है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्राचीन परम्पराओं से प्राप्त आधार को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के साथ समन्वित किया गया है। मौर्यकालीन दण्ड व्यवस्था और वर्तमान दण्ड व्यवस्था की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि दण्ड प्रणाली समय के साथ अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समानता आधारित बन गई है।

सन्दर्भ–

1. आर. एस. शर्मा, *भारत का प्राचीन अतीत,* नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005,
2. डी. डी. कोसंबी, *भारतीय इतिहास के अध्ययन की भूमिका,* मुंबई : पॉपुलर प्रकाशन, 1956,
3. भारत सरकार, *भारत का संविधान* , नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग, 1950 (संशोधित संस्करण),
4. कौटिल्य (चाणक्य), *अर्थशास्त्र,* अनुवादक : आर. शमाशास्त्री, मैसूर : मैसूर गवर्नमेंट प्रेस, 1915,
5. *मनुस्मृति,* संपादक : जी. ब्यूहलर, ऑक्सफोर्ड : क्लेरेंडन प्रेस, 1886,
6. एम.पी. जैन, *भारतीय संवैधानिक विधि,* नागपुर : लेक्सिसनेक्सिस, नवीन संस्करण,
7. *याज्ञवल्क्य स्मृति,* वाराणसी : चौखंबा संस्कृत सीरीज,
8. जे. एन. पांडेय, *संविधान का परिचय,* इलाहाबाद : सेंट्रल लॉ एजेंसी,
9. रोमिला थापर, *अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन* , नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1961,
10. वी. के. अग्रवाल, *भारतीय न्याय व्यवस्था,* नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशर्स,
11. डी. डी. बसु, *भारत के संविधान का परिचय,* नई दिल्ली : लेक्सिसनेक्सिस, नवीन संस्करण,
12. डी. एन. झा, *प्राचीन भारत,* नई दिल्ली : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, 1977,
13. वी. डी. महाजन, *प्राचीन भारत,* नई दिल्ली : एस. चाँद एंड कंपनी, 1960 (संशोधित संस्करण),
14. उपेन्द्र ठाकुर, *मौर्यकालीन प्रशासन के पहलू* , पटना : 1960 के दशक का प्रकाशन,
15. भारत सरकार –*भारतीय दण्ड संहिता,* 1860.
16. राम शरण शर्मा , *प्राचीन भारत का इतिहास* , नई दिल्ली : मैकग्रा–हिल, 1977.

- **कु० काजल गुप्ता Email- kg567214@gmail.com, मो0 नं0–7081706857**
- **डॉ० आरती गुप्ता, Email- artiofficialfeb29@gmail.com, मो0 नं0 8318361894**